Phone : 05444-222465
Website : www.gdcrobertsganj.ac.in
E-mail- gdcrobertsganj@gmail.com

क्रमांक C546

राजकीय महिला महाविद्यालय

राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

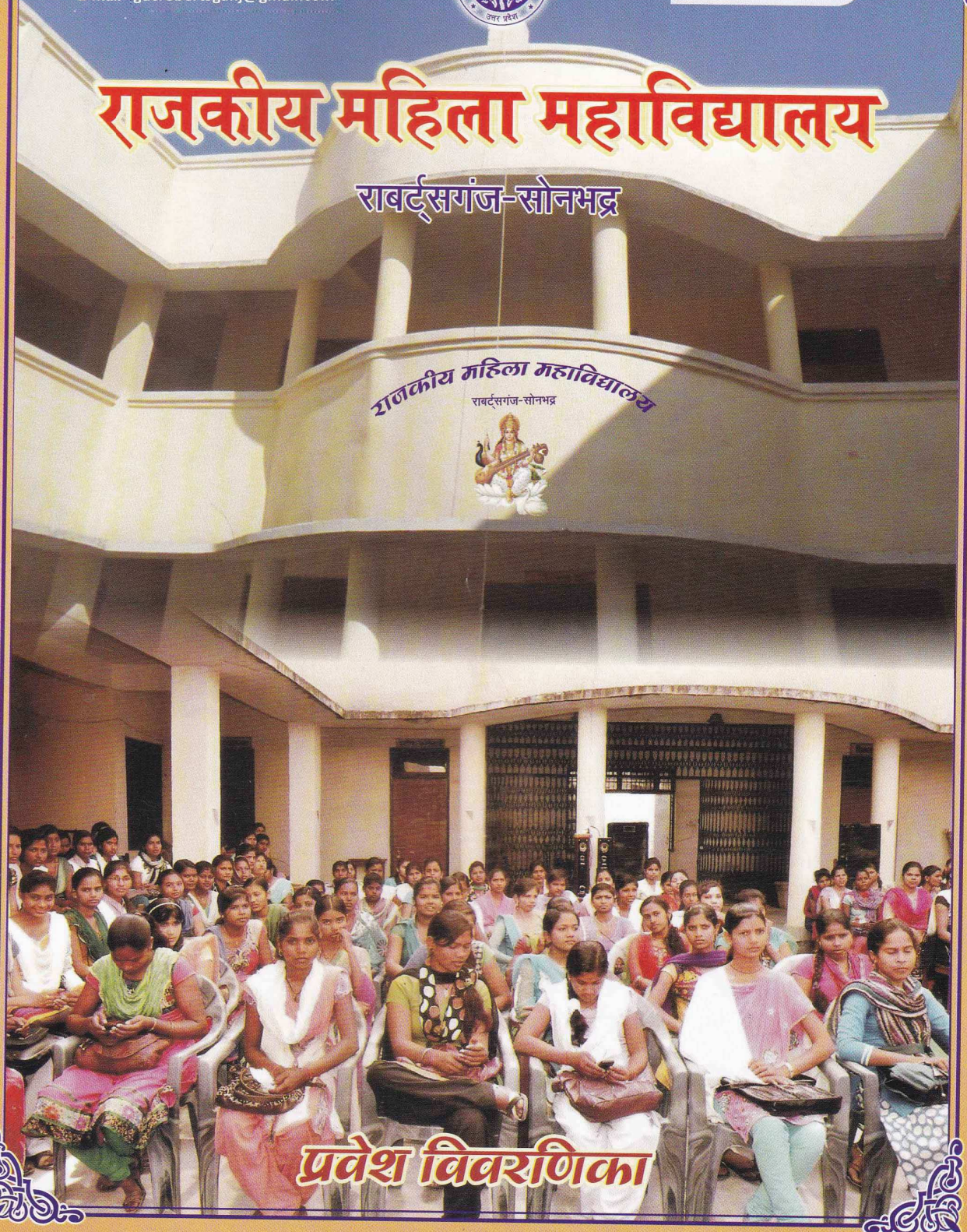

प्रवेश विवरणिका

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास-

सोनभद्र विशाल क्षेत्रफल के सापेक्ष यहाँ की ज्यादातर आबादी भारत की आत्मा यानी गाँव में निवास करती है एवं विकास की मुख्य धारा से जुड़कर प्रगति की ओर अग्रसर है। राबर्ट्गंज में स्त्री को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये उसे उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने 2008 में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की एवं किराए के भवन में शैक्षिक सत्र संचालन प्रारम्भ किया। लोढ़ी में महाविद्यालय को आवंटित भूमि पर कार्यदायी संस्था जल–निगम द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है। क्षेत्र की जटिल स्थिति के समानान्तर महाविद्यालय की वर्तमान स्थिति भी जटिल एवं संवेदनशील है किन्तु महाविद्यालय परिवार प्रशासन प्राचार्य एवं स्वयं छात्राओं में अभूतपूर्व जिजीविषा के परिणाम स्वरूप शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर सांस्कृतिक साहित्यिक सामाजिक कार्य अभूतपूर्व सफलता के साथ ईश्वरीय कृपा से प्रत्येक व्यवधान के निराकरण के साथ सम्पन्न हो रहे है। 01–07–2011 से निरन्तर अविरल प्रयास निमार्णाधीन भवन को पूर्ण कराने की दिशा में चल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप महाविद्यालय भवन ने सम्पूर्ण आकार ले लिया है वर्तमान शासन की सक्रियता व दखल से निकट भविष्य में सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार निर्मित होकर भवन महाविद्यालय को हस्तान्तरति होने की प्रबल सम्भावना इस सत्र में है। वर्तमान में कलावर्ग के कतिपय विषय संचालित हैं। निकट भविष्य में अपना भवन होने की स्थिति में अन्य विषय वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक स्तर पर व कला क्षेत्र में स्नातकोत्तर विषयों में शिक्षण संचालन की अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

महाविद्यालय में सीमित संसाधनों में भी एक पुस्तकालय एवं वाचनालय संचालित है वर्तमान में कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। छात्राओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिये महाविद्यालय के साथ अपना एक पूर्ण सुसज्जित एवं ब्रॉडबैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन युक्त कम्प्यूटर लैब है। आज छात्राएँ कम्प्यूटर के माध्यम से अपने विषय की नवीनतम् जानकारी प्राप्त कर रही है।

वाराणसी – शक्तिनगर मार्ग पर रोडवेज बस डिपो, राबर्ट्सगंज से 3 कि.मी. तथा मुख्य मार्ग से 200 मीटर अन्दर राबर्ट्सगंज सदर ब्लाक के पीछे निर्मित स्वयं के भवन में महाविद्यालय नवम्बर 2012 से संचालित हो रहा है। हमारे एवं कार्यरत सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के निरन्तर प्रयासों से शिक्षा एवं शिक्षण का स्तर मानक के अनुरूप उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है।

महाविद्यालय के क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास-

सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व का एक विशाल सीमाओं एवं क्षेत्रफल वाला जिला है जिसकी सीमाएँ चार प्रमुख प्रदेशों से जुड़ी हुई है। वर्तमान में यह जिला अपनी खनिज सम्पदाओं के कारण प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर खनिज उत्पादन से एल्यूमिनियम, सीमेन्ट, चूना, बालू व गिट्टी के कई महत्वपूर्ण व बड़े कारखाने लगे हैं। अपने कोयला एवं उर्जा (बिजली) के कई महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत चल रहे हैं, इस जिले को उजान्चल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का अधिकांश क्षेत्रफल छोटी छोटी–छोटी पहाड़ियों एवं वनों से आच्छादित है। यहीं देश में अपना प्रमुख स्थान रखने वाला रिहन्द बाँध भी है।

पाठ्य-विषय-

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। निर्धारित नियमानुसान महाविद्यालय के स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है–

क) कला संकाय-बी.ए.-

वैकल्पिक विषय-

1. हिन्दी साहित्य
2. अंगेजी साहित्य
3. संस्कृत
4. गृह विज्ञान
5. राजनीति शास्त्र
6. अर्थशास्त्र
7. समाजशास्त्र

टिप्पणी- वर्तमान में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में राष्ट्र गौरव एवं द्वितीय वर्ष में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय है।

1. बी.ए. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी उपर्युक्त वैकल्पिक विषय में से तीन विषयों का चयन कर सकते हैं और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी पूर्व तीन विषयों में से किन्ही दो विषयों का चयन कर सकते है।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य निर्देश-

आवेदन-पत्र-

प्रवेश आवेदन सहित विवरण पुस्तिका महाविद्यालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित तिथि तक, जिसकी घोषणा सूचना पट्ट पर की जायेगी, निर्धारित मूल्य पर नगद देकर प्राप्त की जा सकेगी।

प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक, जिसकी घोषणा महाविद्यालय सूचना पट्ट पर कर दी जायेगी कार्यालय में अवश्य जमा हो जाना चाहिए। अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नक-

पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक आवश्यक है–

1. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक–पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
2. अन्य शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।
4. अ) अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।

   ब) अर्ह परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद एक वर्ष के अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी का शपथ पत्र तथा अन्तराल समय का किसी राजपत्रित अधिकारी /एम.पी./एम.एल.ए/एम.एल.सी./नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

5. विद्यालय (मण्डलीय/राज्यस्तरीय), अन्तर विश्वविद्यालय स्तर के खेलकूद सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

6. अ) एन.सी.सी. के 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

   ब) स्काउट गाइड/रोवर/रेंजर्स के प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति।

7. यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्री/पौत्री हो, तो सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

8. यदि राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय उ0शि0 में कार्यरत किसी कर्मचारी के पुत्री/पत्नी/बहन हो, तो सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

9. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का है, तो जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. विकलांगता का प्रमाण–पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त)
    नोट– 60 प्रतिशत से अधिक विकलांक होने पर इसका लाभ मिलेगा।

11. विस्थापन का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि विस्थापित हो।

12. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्री/नाती/पौत्री के लिये जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

टिप्पणी– आवेदन पत्र के साथ अधिभार/आरक्षण पाने के लिए सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। इसके अभाव में अभ्यर्थी को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन पत्र

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम-

1. इण्टरमीडिएट/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद एक वर्ष से अधिक का अन्तरातल (गैप) होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आंकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ–पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अन्तराल वर्ष के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी/एम.पी./एम.एल.ए./एम.एल.सी/नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अर्ह प्रवेशार्थियों के प्रवेश के उपरान्त रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

3. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा किसी भी कारण से परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुन: उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4. विषय बदलकर स्नातक कक्षा में पुन: प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो। तथ्य छुपाकर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क भी वापस नहीं दिया जायेगा।

5. स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में संस्थागत छात्राओं को आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त होने की दशा में ही व्यक्तिगत अभ्यर्थी के प्रवेश पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

6. शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

8. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होना आवश्यक है। 40 प्रतिशत अंक आवेदन भरने की न्यूनतम अर्हता है, जिसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जायेगा। सीट की उपलब्धत के आधार पर मेरिट के क्रम से नियमानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग को इस नियम से नियमानुसार छूट प्राप्त होगी।

9. इस महाविद्यालय/अन्य राजकीय महाविद्यालय/उच्चशिक्षा निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पुत्री/पत्नी तथा सगे बहन को अनिवार्य न्यूनतम अर्हता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेशार्थी सोच–विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के प्रश्चात् विषय–परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

11. अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अथवा अनुशासन, दुर्व्यवहार एवं अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

12. जिस छात्रा पर भारतीय दण्ड–संहिता की धाराओं के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड हुआ हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार नहीं दिया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कारणों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा किया हुआ शुल्क आदि भी वापस नहीं किया जायेगा।

14. बिना कारण बताये प्राचार्य को कोई भी प्रवेश अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है।

15. उ0प्र0 स्टेट यूनी0 एक्ट 1973 की अनु0 8 की धारा 45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

16. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय को प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

17. योग्यता 'अनुक्रमणी वरीयता–क्रम एवं आरक्षण नियमों के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

18. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश के समय वांछित मूल प्रमाण–पत्र नहीं लाता है तो उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणी का निर्माण निम्नवत होगा – इण्टरमीडिएट लिखित परीक्षा का प्राप्तांक + अधिभार का अंक।

अधिभार-

1. क्रीड़ा से सम्बन्धित–

(क)	विद्यालय में माध्यम से मण्डलीय/राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर	05 अंक
(ख)	विद्यालय में माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	15 अंक

2. एन.सी.सी. से सम्बन्धित

(क)	प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण–पत्र धारकों के लिए	05 अंक
(ख)	'बी' प्रमाण–पत्र धारक के लिए	10 अंक
(ग)	'सी' प्रमाण–पत्र धारक के लिए	15 अंक

3. स्काउट गाइड से सम्बन्धित

(क) मण्डलीय प्रमाण–पत्र धारक के लिए 05 अंक

(ख) ज़नपदीय रैली सहभागिता 02 अंक

विशेष-

1. अधिभार की अधिकतम सीमा 20 अंकों की होगी।
2. बी.ए. प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण होने पर संस्थागत के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. भूतपूर्व छात्रा को अगली कक्षा में संस्थागत के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है।

प्रवेश चयन समिति-

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा समितियां गठित की जायेगी, जो प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्देश प्रदान करेगी तथा तद्नुरूप साक्षात्कार करेगी एवं मूल प्रमाण–पत्रों से जाँच करेगी। साक्षात्कार हेतु प्रवेशार्थी को सभी लंलग्नकों के मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश चयन समिति प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करके अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगी और उसकी सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। निर्धारित तिथि तक कार्यालय में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न करने पर प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। वे बिना कारण बताये प्रवेश अस्वीकृत कर सकते हैं। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

शुल्क-

बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। प्रतिभूति की धनराशि महाविद्यालय छोड़ने के तीन माह बाद वापस की जा सकती हैं इसके लिए महाविद्यालय कार्यालय में उचित प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन करना होगा। प्रतिभूति धनराशि लौटाने की कार्यवाही प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के बाद होगी।

परिचय पत्र-

प्रवेश प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के मुख्यशास्ता से हस्ताक्षरयुक्त परिचय पत्र प्राप्त कर लेना होगा, जिसे नियमित रूप से प्रतिदिन महाविद्यालय में ले आना होगा। परिचय पत्र के लिए फोटो विद्यार्थी प्रस्तुत करेगा।

पुस्तकालय-

1. विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अबाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने की व्यवस्था है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को 10 से 5 बजे तक खुला रहेगा। छात्रों को 11 से 3 बजे तक पुस्तकें उपलब्ध हो सकेगीं। पुस्तकों की सख्या को देखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विवेकानुसार छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या तथा पुस्तक वितरण तिथि निर्धारित करेगें। पुस्तकें निर्गत तिथि से 15 दिन के अन्दर वापस की जायेगीं। सामान्यत: एक छात्रा को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जायेगी।
2. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों की वापसी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पूर्व होना अनिवार्य है।

छात्रवृत्तियां-

शासन द्वारा आय के आधार पर सभी वर्गो की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए पूर्ण विवरण कार्यालय ये प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ जाति एवं आय प्रमाण भी संलग्न करना आवश्यक हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा को राबर्ट्गंज के किसी बैंक का अपना खाता संख्या देना अनिवार्य होगा। खाता संख्या न देने पर छात्रवृत्ति प्रदान करना सम्भव नहीं होगा।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता छात्राओं को अपने प्रमाण पत्रों के साथ छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 31 अगस्त तक कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।

अन्य छात्रवृत्तियों के लिए सूचना पट्ठ पर लगी सूचना देखते रहना चाहिए।

पाठयेत्तर कार्य कलाप-

क्रीड़ा परिषद-

मानसिक विकास के साथ–साथ छात्राओं के शरीरिक शक्ति एवं क्षमताओं का समुचितविकास भी अत्यावश्यक होता है। स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर में ही स्वस्थ एवं पुस्ट मस्तिष्क का निवास होता है। क्रीड़ा के द्वारा परस्पर मेल जोल, सहयोग, भ्रातृत्व प्रेम एवं स्पर्धाओं को स्वीकार करने की भावना विकसित होती है। क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती है। महाविद्यालय में हाकी, क्रिकेट, फुटबाल, बालीवाल, कबड्डी, बैडमिण्टन, टेबुल टेनिस तथा कैरम इत्यादि खेलों से सम्बन्धित सुविधाए उपलब्ध है। महाविद्यालय का विशाल परिसर तथा विभिन्न महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन प्रस्तावित किया जाता है। जिसमें 100 मी, 200मी, 400मी, 800मी, 1500मी 5000मी, 10000मी, की दौड़ लम्बी कूद ऊँची कूद, त्रिकूद, चक्र–प्रक्षेप, भाला–प्रक्षेप, रिले रेस–हैमर थ्रो तथा पोलवाल्ट इत्यादि प्रतियोगिताएं सम्पन्न होना प्रस्तावित है, जिसमें अपने–अपने वर्ग की प्रतियोगिताओं में छात्राएं भाग ले सकेंगी। स्थान प्राप्त प्रतियोगी को पुरस्कृत किया जायेगा। चैम्पियन छाया को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

महाविद्यालय पत्रिका-

महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष होता है। जिसका मूल उद्देश्य छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है। सूचना निर्गत करके प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री कहानी कविता लेख निबन्ध इत्यादि छात्राओं से आमंत्रित करेंगे।

रोवर-क्रू एवं रेंजर दल-

इण्टरमीडिएट स्तर पर जिसे स्काउट/गाइड कहते हैं, उसे ही महाविद्यालय स्तर पर रोवर/रेंजर कहते हैं। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए रेंजर टीम कार्यरत है, जिसमें 17 से 25 वर्ष की छात्राएं भाग ले सकती हैं। रेंजर दल का उद्देश्य छात्राओं का शारिरिक एवं मानसिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना द्वारा समाज में सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है। इनका आदर्श वाक्य 'सेवा करो' को साकार करने के क्षेत्र में विगत वर्ष अतिमहत्वपूर्ण अनेकानेक कार्य सम्पादित किये गये, जिससे एक ओर विपरित जटिल परिस्थितियों में छात्राएँ स्वयं की अपने परिवार की अन्ततः समाज की सहायता प्रखरता एवं निर्भयता के साथ कर सकें। विगत वर्ष प्रथम बार दुर्गम क्षेत्र की छात्राओं ने रंजर्स के रूप में जनपदीय प्रतियोगिता में भाग लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं मण्डलीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सहभागिता कर अनेक पदक एवं स्थान प्राप्त किये।

राष्ट्रीय सेवा योजना-

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। प्रथम ईकाई में 100 बच्चों का प्रवेश किया जायेगा। जिसके अंतर्गत पहले आये पहले पाये के नियम का पालन किया जायेगा। जिसमें छात्राओं का पंजीकरण होगा। जनजागृति एवं सामाजिक सेवा में रूचि रखने वाली छात्राएं पंजीकरण की सूचना जारी होने पर सदस्यता हेतु आवेदन कर सकेंगी। एन.एस.एस. में दो वर्ष की अविछिन्न सदस्यता तथा दस दिवसीय शिविर में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेवियों को विश्वविद्यालय से प्रेरणा पत्र प्रदान किया जाता है। जिस पर कई प्रवेश परीक्षाओं में अधिभार अंक निर्धारित है।

1. विभागीय परिषद-

महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग की अपनी परिषद है, जिसमें विभाग स्तर पर चुनी गयी छात्रा प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। छात्राओं की वाकशक्ति, तर्कशक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के पल्लवन में इन परिषदों का विशेष योगदान रहता है। विगत वर्षों में विभिन्न परिषदो के तत्वावधान में अनेक साहित्यिक,सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्यक्रम छात्रओं की प्रचुर एवं प्रखर सहभागिता द्वारा सम्पन्न हुए। जिनमें निरन्तर उत्कर्ष होगा।

2. वाद-विवाद, नाट्य एवं सांस्कृतिक परिषद-

इसका गठन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। सत्र भर इसके तत्वाधान में प्रतियोगिताएँ, नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। विगत वर्षों में प्राचार्य की प्रेरणा के फलस्वरूप छात्राओं की विशेष रूचि एवं प्रयास द्वारा इस क्षेत्र में छात्रओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिला। महाविद्यालय के स्वयं के भवन एवं परिसर में उत्तरोत्तर इस प्रकार की क्रिया–कलापों में क्रमशः वृद्धि एवं छात्राओं के व्यक्तित्व का समग्र विकास हो रहा है।

3. अनुशासन मण्डल-

महाविद्यालय में अनुशासन मण्डल है, जो महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने एवं विभिन्न कार्यकलापों को सूचारू रूप में संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। मुख्य शास्ता के साथ अनुशासन मण्डल का मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। प्राचार्य स्वयं संरक्षक होते है।

4. कम्प्यूटर प्रशिक्षण-

स्नातक स्तर पर DOEAC 'O' LEVEL त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। स्नातक प्रथम वर्ष की इच्छुक छात्राएं निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। समकालीन समय में कम्प्यूटर प्रयोग एवं इसके ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता से हम सभी बखुबी परिचित हैं। इसलिए समस्त छात्राओं को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का परामर्श दिया जाता है।

5. युवा महोत्सव-

प्राचार्या

डॉ० वन्दना

प्राध्यापकों की सूची

1. **हिन्दी विभाग**
   श्री रविन्द्र यादव
2. **संस्कृत विभाग**
   डॉ० आनन्द कुमार
3. **समाज शास्त्र विभाग**
   डॉ० वन्दना
4. **गृह विज्ञान विभाग**
   श्रीमती मंजूषा राय
5. **अर्थशास्त्र विभाग**
   डॉ० प्रभात कुमार पाण्डेय
6. **राजनीति शास्त्र विभाग**
   डॉ० दिलीप कुमार सिंह
7. **अंग्रेजी विभाग**
   डॉ० गिरीश कुमार

कर्मचारियों की सूची

तृतीय श्रेणी

1. पुस्तकालयाध्यक्ष - रिक्त
2. वरिष्ठ सहायक - किशन लाल
3. कनिष्ठ लिपिक - रिक्त

चतुर्थ श्रेणी

1. रिक्त परिचारक
2. रिक्त

प्रवेश के प्रमुख बिन्दु

1. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने जाति का स्पष्ट उल्लेख करें एवं नवीनतम् जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

2. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम् नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

3. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ली जायेगी।

4. वांछित मूल प्रमाण–पत्रों के अभाव में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

5. प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।

6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

7. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश किया जायेगा।
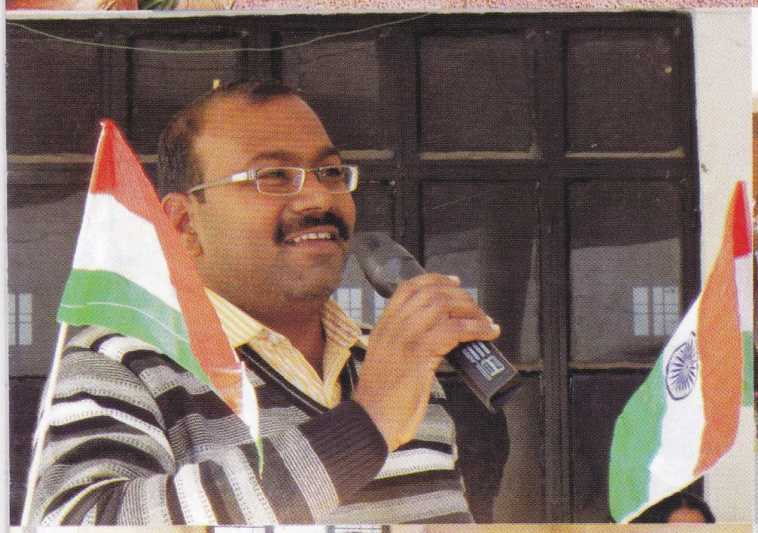
जिला - सोनभद्र (उ०प्र०)
''वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह''
2014 - 2015
24 फरवरी 2015